

प्रश्न सं. [ क. 1263 ]

परिशिष्ट - अ


कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग-शहडोल  
नगरपालिका परिषद, बिजुरी में हुई वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल के शिकायती आवेदन क्रमांक 1133/21 पर जांच प्रतिवेदन के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण (विधान सभा तारकित प्रश्न क्रमांक 1263)


क्र.	दोषी पाये गये पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी/फर्म का नाम	जांच प्रतिवेदन के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
1	श्री पुरुषोत्तम सिंह, तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, बिजुरी	मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक 2658/1340/2021/18-3 दिनांक 05.07.2022 द्वारा श्री पुरुषोत्तम सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। किमान स्तर पर सुनवाई पूर्ण होकर आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	सुश्री कमला कोल तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद, बिजुरी	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक शि/6/आर/1133/बिजुरी/2021/8266 दिनांक 04.05.2022 द्वारा सुश्री कोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। उपरोक्त के पश्चात् संचालनालय के आदेश क्रमांक शा-6/शि/बिजुरी/2022/11505 दिनांक 22.06.2022 द्वारा सुश्री कोल के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार संचालनालय के आदेश क्रमांक शि/6/आर/1133/बिजुरी/2021/19584 दिनांक 14.11.2022 द्वारा सुश्री कोल की दो वेतनवृद्धि संघयी प्रभाव से रोकी गई है। साथ ही निकाय को हुई आर्थिक क्षति की कुल राशि रुपये 12,24,792.00 में से समानुपातिक राशि सुश्री कोल से वसूली किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण में सुश्री कोल की निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि नहीं माना गया है।
3	श्री हरिओम वर्मा, तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद, बिजुरी	मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक 4500/1340/2021/18-3 दिनांक 18.11.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है। विभागीय जांच पूर्ण हो गई है, जांच पर श्री वर्मा का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।
4	सुश्री मीना कोरी, तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बिजुरी	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक शा-6/शि/बिजुरी/2022/11475 दिनांक 22.06.2022 द्वारा सुश्री कोरी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार संचालनालय के आदेश क्रमांक शि/6/आर/1133/बिजुरी/2021/19586 दिनांक 14.11.2022 द्वारा सुश्री कोरी की दो वेतनवृद्धि संघयी प्रभाव से रोकी गई है। साथ ही निकाय को हुई आर्थिक क्षति की कुल राशि रुपये 19,00,656.00 में से समानुपातिक राशि सुश्री कोरी से वसूली किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
5	सुश्री बन्धना अवस्थी, तत्कालीन उपयंत्री, नगरपालिका परिषद, बिजुरी	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक शि/6/आर/1133/बिजुरी/2021/8264 दिनांक 04.05.2022 द्वारा सुश्री अवस्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। उपरोक्त के पश्चात् संचालनालय के आदेश क्रमांक शा-6/शि/बिजुरी/2022/11485 दिनांक 22.06.2022 द्वारा सुश्री अवस्थी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार संचालनालय के आदेश क्रमांक शि-6/आर-1133/बिजुरी/2021/19588 दिनांक 14.11.2022 द्वारा सुश्री अवस्थी की दो वेतनवृद्धि संघयी प्रभाव से रोकी गई है। साथ ही निकाय को हुई आर्थिक क्षति की कुल राशि रुपये 27,68,775.00 में से समानुपातिक राशि सुश्री अवस्थी से वसूली किए जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण में सुश्री अवस्थी की निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि नहीं माना गया है।
6	श्री नीलेश सिंह तत्कालीन उपयंत्री, नगरपालिका परिषद, बिजुरी	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक शा-6/शि/बिजुरी/2022/11481 दिनांक 22.06.2022 द्वारा श्री नीलेश सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रक्रियात्मक जुटि के लिए संचालनालय के आदेश क्रमांक शि/6/आर/1133/बिजुरी/2021/19590 दिनांक 14.11.2022 द्वारा श्री सिंह को भविष्य के लिए समेत करते हुए यह निर्देशित किया गया है, कि वे यह सुनिश्चित करें, कि भविष्य में इस प्रकार की प्रक्रियात्मक जुटि की पुनरावृत्ति न हो।

उप संचालक  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
भोपाल

अनुभाष अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

क्र.	दोषी पाये गये पदाधिकारी/ अधिकारी/ कर्मचारी/ फर्म का नाम	जांच प्रतिवेदन के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
7	श्री रवीन्द्र यादव, तत्कालीन उपयंत्री (सविदा), जन शिक्षा केन्द्र, कोतमा	कार्यालय कलेक्टर (समग्र शिक्षा), जिला अन्पूर् के आदेश क्रमांक प्रि/शिका/विमा.जा/2022-23/914 दिनांक 07.11.2022 द्वारा श्री रवीन्द्र यादव की सविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। साथ ही निकाय को हुई आर्थिक हति की समानुपातिक राशि वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
8	श्री शिवनरेश धनवार, मुख्य लिपिक/लेखापाल, नगरपालिका परिषद, बिजुरी	नगरपालिका परिषद, बिजुरी के आदेश क्रमांक 568 दिनांक 27.06.2022 द्वारा श्री धनवार के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार निकाय के आदेश क्रमांक 1132 दिनांक 11.11.2022 द्वारा श्री धनवार की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। साथ ही निकाय को हुई आर्थिक हति की कुल राशि रुपये 41,26,134.00 में से समानुपातिक राशि रुपये 9,13,540.00 की वसूली किये जाने के निर्देश दिए गये हैं।
9	श्री प्रदीप द्विवेदी, सहायक राजस्व निरीक्षक (प्रभारी लेखापाल) नगरपालिका परिषद, बिजुरी	नगरपालिका परिषद, बिजुरी के आदेश क्रमांक 568 दिनांक 27.06.2022 द्वारा श्री द्विवेदी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार निकाय के आदेश क्रमांक 1128 दिनांक 11.11.2022 द्वारा श्री द्विवेदी की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। साथ ही निकाय को हुई आर्थिक हति की कुल राशि रुपये 8,41,436.00 में से समानुपातिक राशि रुपये 1,40,818.00 की वसूली किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
10	श्री घनंजय पटेल उपयंत्री, दैनिक श्रमिक, नगरपालिका परिषद, बिजुरी	नगरपालिका परिषद, बिजुरी के पत्र क्रमांक 224 दिनांक 06.05.2022 द्वारा श्री पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उपरोक्त के पश्चात् निकाय के आदेश क्रमांक 1122 दिनांक 11.11.2022 द्वारा निकाय को हुई आर्थिक हति की कुल राशि रुपये 66,092.00 में से समानुपातिक राशि 16,523.00 वसूल किये जाने के निर्देश दिए गए हैं एवं राशि जमा न किए जाने पर इनके पारिश्रमिक से कटौती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
11	श्री रामबिहारी मिश्रा सहायक ग्रेड 03, नगरपालिका परिषद, बिजुरी	नगरपालिका परिषद, बिजुरी के आदेश क्रमांक 570 दिनांक 27.06.2022 द्वारा श्री मिश्रा के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार निकाय के आदेश क्रमांक 1124 दिनांक 11.11.2022 द्वारा श्री मिश्रा की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। साथ ही निकाय को हुई आर्थिक हति की कुल राशि रुपये 20,40,552.00 में से समानुपातिक राशि रुपये 4,08,110.00 श्री मिश्रा से वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
12	श्री विनोद पाण्डेय, स्थायी कर्म, नगरपालिका परिषद, बिजुरी	नगरपालिका परिषद, बिजुरी के पत्र क्रमांक 212 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा श्री पाण्डेय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उपरोक्त के पश्चात् निकाय के आदेश क्रमांक 1126 दिनांक 11.11.2022 द्वारा निकाय को हुई आर्थिक हति की कुल राशि रुपये 1,30,85,810.00 में से समानुपातिक राशि रुपये 2,18,085.00 वसूल किये जाने के निर्देश दिए गए हैं एवं राशि जमा न किये जाने पर इनके वेतन से कटौती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
13	श्री रामदुलारे चतुर्वेदी, ठेकेदार बिजुरी	नगरपालिका परिषद, बिजुरी के पत्र दिनांक 06.05.2022 द्वारा श्री रामदुलारे चतुर्वेदी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर समाधानकारक न पाए जाने के कारण निकाय के पत्र क्रमांक 1134 दिनांक 11.11.2022 द्वारा राशि रुपये 33,70,770.00 निकाय में जमा करने के निर्देश दिये गये हैं तथा उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया गया है।
14	मेसर्स समर्थ कन्स्ट्रक्शन, सीडी	नगरपालिका परिषद, बिजुरी के पत्र क्रमांक 211/न.पा./2022 दिनांक 06.05.2022 मेसर्स समर्थ कन्स्ट्रक्शन (सविदाकार, डा. मुके. I कुमार चतुर्वेदी) को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर समाधानकारक न पाए जाने के कारण निकाय के पत्र क्रमांक 1136 दिनांक 11.11.2022 द्वारा राशि रुपये 11,34,736.00 निकाय में जमा करने के निर्देश दिये गये हैं तथा उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया गया है।

  
**अनुभाब अधिकारी**  
 मध्यप्रदेश शासन  
 नगरीय विकास एवं आवास विभाग

  
**उप संचालक**  
 नगरीय प्रशासन एवं विकास  
 स.प. शोषण

सही  
 संयुक्त संचालक  
 नगरीय प्रशासन एवं विकास  
 संभाग-शहडोल



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग-राहडोल  
नगरपालिका परिषद, बिजुरी में हुई वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, मोपाल के शिकायती आवेदन क्रमांक 1100/21 पर जांच प्रतिवेदन के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण (विधान सभा तारकित प्रश्न क्रमांक 1263)

क्र.	दोषी पाये गये पदाधिकारी/ अधिकारी/ कर्मचारी/ फर्म का नाम	जांच प्रतिवेदन के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
1	श्री पुरुषोत्तम सिंह, तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, बिजुरी	मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक 2656/1341/2021/18-3 दिनांक 06.07.2022 द्वारा श्री पुरुषोत्तम सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, विभाग स्तर पर सुनवाई पूर्ण होकर आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	सुश्री कमला कोल तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद, बिजुरी	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, मोपाल के आदेश क्रमांक शा-6/शि/बिजुरी/2022/11489 दिनांक 22.06.2022 द्वारा सुश्री कोल के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए संचालनालय के आदेश क्रमांक शि/6/आर.1100/बिजुरी/2021/19580 दिनांक 14.11.2022 द्वारा सुश्री कोल को मविथ के लिए सचेत करते हुए यह निर्देशित किया गया है, कि वे यह सुनिश्चित करें, कि मविथ में इस प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि की पुनरावृत्ति न हो।
3	श्री हरेओम वर्मा, तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद, बिजुरी	मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक 4498/1341/2021/18-3 दिनांक 18.11.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है, विभागीय जांच पूर्ण हो गई है, जांच पर श्री वर्मा का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।
4	श्री रवीन्द्र यादव, तत्कालीन उपपर्यंत्री (सविदा), जन शिक्षा केन्द्र, कोतमा	कार्यालय कलेक्टर (समय शिक्षा), जिला अनूपपुर के आदेश क्रमांक जशिके/शिका/विभाजा/2022-23/914 दिनांक 07.11.2022 द्वारा श्री रवीन्द्र यादव की सविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही निकाय को हुई आर्थिक क्षति की समानुपातिक राशि वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
5	श्री धनंजय पटेल उपपर्यंत्री, दैनिक श्रमिक, नगरपालिका परिषद, बिजुरी	नगरपालिका परिषद, बिजुरी के पत्र क्रमांक 224 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा श्री पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उपरोक्त के पश्चात् निकाय के आदेश क्रमांक 1122 दिनांक 11.11.2022 द्वारा निकाय को हुई आर्थिक क्षति की कुल राशि रुपये 7,563.00 में से समानुपातिक राशि रुपये 1,891.00 वसूल किये जाने के निर्देश दिए गए हैं एवं राशि जमा न किये जाने पर इनके पारिश्रमिक से कटौती किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।
6	श्री शिवनरेश धनवार, मुख्य लिपिक/लेखापाल, नगरपालिका परिषद, बिजुरी	नगरपालिका परिषद, बिजुरी के पत्र क्रमांक 566/1 दिनांक 27.06.2022 द्वारा श्री धनवार के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार निकाय के आदेश क्रमांक 1130 दिनांक 11.11.2022 द्वारा श्री धनवार की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। साथ ही निकाय को हुई आर्थिक क्षति की कुल राशि रुपये 14,02,100.00 में समानुपातिक राशि रुपये 3,50,525.00 की वसूली किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

अनुभाब अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

उप संचालक  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
म.प्र. मोपाल

सही  
संयुक्त संचालक  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
संभाग-राहडोल